न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 24 / 2017 जिला अलवर

1. रामनिवास
2. रामशरण
3. महेन्द्र पुत्रान श्री जयनारायण
4. कुन्दना देवी पत्नि रामसिंह
5. सत्यवीर पुत्र रामसिंह
6. सन्तोष
7. सुनिता
8. शर्मिला
9. मीना पुत्रियान रामसिंह, जाति अहीर, निवासी ग्रम डाबरिया, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. भूनिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर दिनांक 21.12.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री ब्रह्नप्रकाश
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

निजी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

दिनांक 18.3.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 21.12.2016 के खिलाफ नियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 4.4.2017 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि तहसीलदार बानसूर, जिला अलवर ने उप खण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर को प्रार्थाना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया था कि ग्रम डाबरिया, तहसील बानसूर, जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1216 रकबा 1.25 हैक्टेयर रिकार्ड अनुसार रामनिवास, रामशरण, महेन्द्र पि.जयनारायण, कुन्दना देवी पत्नी रामसिंह, सत्यवीरपुत्र रामसिंह, सन्तोष , सुनिता, शर्मिला, मीना पुत्री रामसिंह कौम अहीन सा. देह खातेदार दर्ज है । उक्त भूमि में राजस्व मानचित्र अनुसार मौके पर रास्ता प्रचलित

Scanned by CamScanner

है, जो सार्वजनिक उपयोग में आम जन के आवागमन के काम आ रहा है । राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3(1) में परिभाषित है तथा राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.9.1956 के द्वारा धारा 131, 132, 136 की शक्तियों के अधीन है । राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का अध्याय 7 सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य से संबंधित है । राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 में मानचित्र एवं फिल्ड बुक का संधारण व धारा 132 मे वार्षिक रजिस्टरों में संधारण का प्रावधान है । इसके अन्तर्गत भू सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सभी परिवर्तनों को नक्शे पर लेने का दायित्व है । राजस्थान भू राजस्व (भू अभिेख) नियम 1957 के नियम 60 के नक्शे में दुरूस्ती करने के प्रावधान है जो नक्शे में संशोधन अधिसूचना दिनांक 2.4.2008 से संशोधन कर नियम 60 जोडी गई है । प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे निवेदन किया है जिसम में चालू रास्ते का अंकन राज्य सरकार के आदेशानुसार एवं नियम 58 गश्त गिरदावरी नियम 59 नक्शे के संबधं में नियम 60 नक्शे में दरूस्ती किये जाने एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं आराजी मौके पर आवागमन के काम आने तथा आमजन के आवागमन की सुविधा को देखते हुये उक्त आराजी मे रास्ते को रिकार्ड में तथा नक्शे में पृथक से तरमीम कराने का निवेदन किया गया क्यांकि उक्त रास्ता ग्रम में आवागमन हेतु सुगम जनसुविधा है ।

अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2016 से मौका निरीक्षण रिपार्ट एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त रास्ते का तरमीम राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये गये कि आराजी खसरा नमबर 1216 रकबा 1.25 मेंसे 0.03 हैक्टेब्यर वाके ग्रम डाबरिया तहसील बानसूर को नजरी नक्शाानुसार गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे । रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण अभियान 2016 राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के अनुसार मौके पर स्थायी रूप से चालू राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं कच्ची या पक्की सडक बन गयी है की पालना करत हुए हल्का पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार रिपोर्ट आधार पर पालना की जावे एवं रिकार्ड में रास्ते का दर्ज किया जावे । पटवारी ने रिर्पोट में मौके पर चालू रास्ता दर्शाया है एवं पक्षकारों की सहमति दर्शायी है । राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैरममकीन रास्ता के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा । निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा, परन्तु नक्शे में व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैरमुमकीन रास्ता दर्ज की जायेगी । मुताबिक आदेश तहसीलदार बानसूर को आदेश की पालना बाबत तहरीर जारी हो ।

Scanned by CamScanner

उप खण्ड अधिकारी बानसूर , जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 21.12.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर दिनांक 21.12.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम उन्हें पटवारी हल्का के बताये जाने दिनांक 26.6.2017 को हुई और आदेशकी नकल प्राप्त कर मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट्स को बिना सुने व बिना तलब किये पारित है जिसे न्याय हित में चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा बाधित नहीं है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जावे । उनका कहना था कि विवादित आराजी अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि है जिसमें से रास्ते बाबत आदेश दिया है उसमें से होकर कभी कोई रास्ता नहीं रहा ना ही मौक पर कोई कदीमी रास्ता विद्यमान है । पटवारी व तहसीलदार की रिर्पो खिलाफ मौका, वस्तुस्थिति व रिकार्ड के विपरीत है । उनका कहना था कि जब मौके पर अन्य कोई रास्ता है तो नया रास्ता कायम करने का प्रश्न ही नहीं उठता । अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा ऑफिस में बैठकर तैयार की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने केवल पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट पर एकपक्षिय विश्वास करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स जो कि विवादित भूमि के खातेदार है एवं हितबद्ध तथा प्रभावित व्यक्ति थे, जिन्हें बिना सुने एवं बिना नोटिस दिये उनकी खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर दिनांक 21.12.2016 निरस्त किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बानसूर के प्रस्ताव एवं अभिशंषा के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2016 पारित किया है । उनका कहना था कि तहसीलदार की रिपार्ट में विवादित आराजी आवागमन के काम आना तथा आराजी में आमजन की सुविधाओं को देखते हुये रास्ते को रिकार्ड में तथा नक्शे में पृथक से तरमीम कराने का अंकन होने के आधार पर रास्ते की तरमीम राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में कराया जाना न्यासंगत मानते हुये गैरमुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलाधीन आदेश से आमजन की सुविधाओं को देखते हुये जनहित में रास्ता कायम किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में तहसीलदार बानसूर जिला अलवर द्वारा खसरा नम्बर 1216 रकबा 1.25 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेब्यर रकबा गैर मुकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव एवं अभिशंषा के आधार पर उप खण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2016 पारित कर अपीलान्ट्स की विवादित भूमि में से गैरमुकीन रास्ता कायम किया गया है । अपीलान्टस का मुख्य कथन कि उनकी खातेदारी भूमि में से उन्हें बिना सुने व बिना नोटिस दिये गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बानसूर ने पारित किया है , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि ग्रम डाबरिया, तहसील बानसूर, जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 1216 रकबा 1.25 हैक्टेयर के अपीलान्ट्स खातेदार होने से हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में न्यायिक रूप से आवश्यक था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को बिना नोटिस दिये तथा सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2016 पारित किया है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना उसके अधिकारों के विपरीत पारित आदेश को न्यायिक आदेश नहीं कहा जा सकता । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर दिनांक 21.12.2016 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है तथा प्रकरण पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी बानसूर को प्रतिपेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर दिनाक 21.12.2016 अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि ग्रम डाबरिया की आराजी खसरा नम्बर 1216 रकबा 1.25 हैक्टेयर की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर को पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अलवर

Scanned by CamScanner

के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिपेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. संभागीय आयुक्त

अति. संभागीय आयुक्त

जयपुर

Scanned by CamScanner